

“ [प्ररूप 12घ]  
[नियम 27ग देखिए]”

भाग 1

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना के बारे में पत्र (अनुपस्थित मतदाताओं के लिए)

सेवा में,

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर  
(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

.....(सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का पदनाम और पता)

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी ग्राम / मोहल्ला..... शहर/नगर/तहसील..... जिला .....

(राज्य) ..... अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूँ और ..... निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा/विधान सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूँ।

मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है-

गृह/निवास गृह/टैट संख्या.....

कैम्प/मोहल्ला/टैट संख्या.....वार्ड/नगर/तहसील.....

जिला ..... राज्य .....पिन कोड .....

मोबाइल फोन नं० (अनिवार्य)..... (अनिवार्यतः दिया जाए)

मेरा नाम .....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या.

..... के क्रम संख्या .....पर दर्ज है।

मैं ..... (धारित पदनाम) के रूप में .....(संगठन का नाम और पूरा पता) मे कार्यरत हूँ।

मैं उपर वर्णित निर्वाचन के लिए मतदान के दिवस को उपर वर्णित कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत रहूंगा।

मतदान की तारीख को मेरी शासकीय ड्यूटी के कारण, मैं मतदान के दिवस को मेरे लिए नियत मतदान केन्द्र पर उपस्थिति होने की स्थिति में नहीं रहूंगा।

या

\*\*मैं.....वर्ष की आयु का हूँ/दिव्यांग व्यक्ति हूँ और मैं मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूँ ।

यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रूप में डाक मतपत्र जारी किया जाय।

भवदीय

.....  
(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

भाग 2

(वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न अनुपस्थित मतदाता)

संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि भाग 1 में आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को शासकीय ड्यूटी पर होगा/होगी और वह मतदान के दिवस को मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होगा/ होगी।

.....

(सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर)

.....नाम

.....पता

.....(रबर की मुद्रा)

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन वर चिन्ह लगाए ।

टिप्पणी- यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाना चाहिए।

प्रत्येक अधिकारी जिसके माफत अथवा जिसकी देखरेख में डाक द्वारा मतपत्र भेजा गया है. वह संबोधित व्यक्ति को बिना विलम्ब मिल जाये. यह सुनिश्चित करेगा.  
(निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 22(4) के अनुसार)

## चुनाव तत्काल डाक मत पत्र

ओर से.....  
.....  
.....